बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूत्तियाँ)03–61–03/2015– 36

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
प0 चम्पारण, बेतिया।

पटना–15, दिनांक– 04.10.18

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जन जाति कल्याण विभाग से संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में सामग्री व पूत्तियाँ मद में ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू0) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनु0जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों यथा, कदमहवाँ/मधुबनी/धमौरा/भिरभिरिया/बेलसण्डी (प0 चम्पारण) में सामग्री व पूत्तियाँ मद में अनुसूचित जनजाति के लिए ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक–32 दिनांक–14.09.2018 द्वारा प्रदान की है। उक्त स्वीकृति के आलोक में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा, पठन–पाठन सामग्री, चौकी, मैट्रेस, डेस्क–बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी0 भी0, पंखा, अग्निशमन यंत्र आदि का आपूर्ति एवं फर्निशिंग कार्य किया जायेगा। तदनुरूप सम्पूर्ण स्वीकृति राशि कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू0) मात्र जिला–प0 चम्पारण को आवंटित की जाती है।

3– आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा– उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां–मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–44–2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4–इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण होंगे। इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण होगें।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8– राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4.10

(मिथिलेश कुमार)
निदेशक ।

ज्ञापांक–4/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूत्तियाँ)03–61–03/2015–36 पटना, दिनांक–04.10.18

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) (i) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0–5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया/उप विकास आयुक्त, प0 चम्पारण, बेतिया /सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव/प्रभारी बजट शाखा/सहायक निदेशक/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0–6 डी0/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.10.2018

निदेशक ।

Allotment of SC-ST Hostel 18-19